मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०२५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) विधेयक, २०२५

३१ मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) अधिनियम, २०२५ है.

३१ मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये १,३५,१०,१६,८६० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक सौ पैंतीस करोड़ दस लाख सोलह हजार आठ सौ साठ होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिए ३१ मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिए दी और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिए)

(आंकड़े रुपये में)

(१) अनुदान का क्रमांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) आधिक्य			
		पूंजीगत/राजस्व	मतदत्त	भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
३३.	आदिम जाति कल्याण				
		राजस्व	१०,८७,४८,३४७	-	१०,८७,४८,३४७
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		पूंजीगत	२२,४८,१६,०००	-	२२,४८,१६,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
		पूंजीगत	२३,२७,३०,०००	-	२३,२७,३०,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	पूंजीगत	७८,४४,८७,२००	-	७८,४४,८७,२००
२३.	जल संसाधन	राजस्व	-	२,२४,३१३	२,२४,३१३
		पूंजीगत	-	११,०००	११,०००
		महायोग :	१,३५,०७,८१,५४७	२,३५,३१३	१,३५,१०,१६,८६०

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४ (१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिए उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च, २०१२ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के व्यय हेतु विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक हुये व्यय की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १ दिसम्बर, २०२५

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.